न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)
अनवान गुगनराम बनाम मगनीराम आदि
प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 94 सन 2021

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
06.07.2023	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत रिकार्ड से यह भलीभांति साबित होता है कि खसरा नं. 440 की 12–15 बीघा भूमि में देईचन्द वल्द घेरू का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उससे ज्यादा भूमि का करवाया गया बैयनाम स्वतः ही शुन्य था एवं 4.08 बीघा भूमि का अंकन अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में बिना किसी आदेश के दर्ज किया गया था। अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा देई चन्द वल्द घेरू से 25.09 बीघा भूमि खरीद की है लेकिन राजस्व रिकार्ड में 28 बीघा भूमि दर्ज है। यह भूमि किस आदेश से दर्ज हुई है गैरसायल ने किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया है। चक 2 सीडीआर के मु. नं. 62 के किला नं. 14 ता 17 की भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है प्रकरण में ताफैसला वाद स्थगन आदेश जारी किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि बैयनामा के अनुसार सही दर्ज चली आ रही है। गैरसायल के दादा एवं भाईयों के द्वारा देईचन्द से 42.08 बीघा भूमि कीमतन खरीद की गई थी एवं उक्त भूमि का देईचंद के द्वारा बैयनामा प्रतिवादीगण के दादा एवं उनके भाईयों के पक्ष में तस्दीक रजिस्टर्ड सन् 1956 में करवा दिया गया। इसी आधार पर वाद भूमि हम गैरसायल रेस्पोडेण्ट के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही हैं बैयनामे के मुताबिक ही कब्जा सौंपा गया था। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट की भूमि को किसी भी प्रकार से खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में गैरसायलान के दादा तथा उनके	

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भाईयों के द्वारा सन 1956 में जरिये बैयनामा भूमि खरीद की हुई है। पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम हिस्से से अधिक अंकित होने का विवाद है। हक हिस्से का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। उभयपक्ष के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एवं प्रश्गनत भूमि को खुद बुर्द होने से रोकने के प्रकरण में स्थगन आदेश रखा जाना उचित है। अतः न्यायालय में आजा द्वारा दिनांक 17.04.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। 6/7/23